(1)

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
78 / 2022

तारीख फैसला
13.08.2022

उनवान

1– सीताराम उर्फ छीताराम आत्मज गोपाल जी जाति मीना निवासी रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 760 की 3.22 हे0 भूमि वाके ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 संलग्न है।

यह कि उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सीताराम के स्थान पर छीताराम दर्ज किया हुआ है। जबकि वादी का नाम सीताराम है। तथा वादी का नाम निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड में भी सीताराम अंकित है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में छीताराम अंकित होने के कारण वादी को अपने खाते व हिस्से की भूमि पर ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 760 की 3.22 हे0 भूमि में वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने और राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार छीताराम पुत्र गोपाल व सीताराम पुत्र गोपाल एक ही

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

(3)

व्यक्ति होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 760 की 3.22 हे0 भूमि में वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को सरे राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में सुनाया गया।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

नकल से मिलान किया

बढ़ा

सुना

फोटो प्रति

सहायक ...
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

(6)

मूल मांग में डिक्री

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– सीताराम उर्फ छीताराम आत्मज गोपाल जी जाति मीना निवासी रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नं 78 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के शामलाती भूमि के कब्जे काश्त व खाते की खसरा नम्बर 760 की 3.22 हे0 भूमि में वादी का नाम छीताराम आत्मज गोपाल के स्थान पर सीताराम आत्मज गोपाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 13.08.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

फोटो प्रति प्रमाणित

दीगोद, जिला कोटा (राज.)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा